

488  
7/7/12

मध्य प्रदेश शासन  
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल  
// अधिसूचना //

(B)

2-2/1/11  
7/7/12  
2012

भोपाल, दिनांक

क्रमांक एफ 1-59/2003/बयालीस(1) मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पोलिटेकनिक महाविद्यालय अध्यापन संवर्ग सेवा भरती (नियम 2004) की कडिका-11 (8) में इन नियमों के तहत सविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 13 दिन आकस्मिक अवकाश एवं 3 दिवस ऐच्छिक अवकाश का हकदार दर्शाया गया है। राज्य शासन द्वारा उक्त नियमों के पश्चात् निम्नानुसार प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है :-

इन नियमों के तहत सविदा पर नियुक्त महिला/पुरुष कर्मचारी अधिकारियों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के नियम - 38 में उल्लेखित प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(हस्ताक्षर)

(डॉ० शशि कर्णावत)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 24/11/11

पू०क्रमांक एफ 1-59/2003/बयालीस(1)  
प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. संचालक, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. समस्त प्राचार्य, पोलिटेकनिक महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
4. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशन हेतु अर्पित।
5. स्टॉक पंजी।

(हस्ताक्षर)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग